27/10/2023 (43)

2023/261

ऑन लाईन नं.RCMS2023/261

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 104/2023

श्री हेतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद — विक्रेता एवं मालिक —
मै0 सांगवाल स्वीट हाउस, बस स्टैण्ड के पास, सादुलशहर, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय **दिनांक : 18.10.2024**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री हेतराम खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन क्रमांकः–प.5(01)चि.स्वा./ग्रुप–3/2022 दिनांक 09.03.2023 के गजट में प्रकाशित हुआ है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांकः–आयुक्ता0/ खासुऔनि/संस्था/2023/900 दिनांक 296.03.2023 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री हेतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.07.2023 को 05.30 पी.एम. को **मै0** सांगवाल स्वीट हाउस, बस स्टैण्ड के पास सादुलशहर, श्रीगंगानगर पर पहुंचे। मौके पर विक्रेता एवं मालिक **प्रेम कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद** को अपना परिचय देकर दुकान पर रखी **कलाकन्द मिठाई(दूध, चीनी, टाट्री, बादाम की कतरन व इलाइची से निर्मित)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा संस्थान के काउंटर फ्रीज में रखे **कलाकन्द मिठाई(दूध, चीनी, टाट्री, बादाम की कतरन व इलाइची से निर्मित)** लगभग 5–6 किलो को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। **कलाकन्द मिठाई(दूध, चीनी, टाट्री, बादाम की कतरन व इलाइची से निर्मित)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **कलाकन्द मिठाई(दूध, चीनी, टाट्री, बादाम की कतरन व इलाइची से निर्मित)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे **श्री प्रेम कुमार** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक **श्री प्रेम कुमार** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

2023/261

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **कलाकन्द मिठाई(दूध, चीनी, टाट्री, बादाम की कतरन व इलाइची से निर्मित)** में से 02 किलोग्राम विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **कलाकन्द मिठाई(दूध, चीनी, टाट्री, बादाम की कतरन व इलाइची से निर्मित)** का नगद भुगतान 760/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और आवेदक के भी हस्ताक्षर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **कलाकन्द मिठाई(दूध, चीनी, टाट्री, बादाम की कतरन व इलाइची से निर्मित)** 02 किलोग्राम को बराबर भागों में बांटकर 4 साफ–सुथरे सूखें डिब्बों में ले कर प्रत्येक डिब्बे में परिरक्षक Firmilin की 40 बूंदे डालकर ढक्कन को कसकर बंद किये व 4 डिब्बों पर लैबल तैयार कर टेप से चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व क्रमांक के–1869** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1869** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री प्रेम कुमार** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–L.S./1030/Act/2023/1030 Dated 25-07-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1869 Sub-standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **प्रेम कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद मै. सांगवाल स्वीट हाउस, बस स्टेण्ड के पास, सादुलशहर, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर की **कलाकन्द मिठाई(दूध, चीनी, टाट्री, बादाम की कतरन व इलाइची से निर्मित)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 13.09.2023 को प्रस्तुत किया गया।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

2023/261

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी मै. सांगवाल स्वीट हाउस, बस स्टेण्ड के पास, सादुलशहर का प्रोपराईटर है। प्रार्थी की उक्त फर्म पर दौराने निरीक्षण अनियमितता पाई गई, दूध इत्यादि सामग्री में कमी पाई गई जबकि प्रार्थी के द्वारा दुध इत्यादि अन्य स्थान से मंगवाये जाते हैं तथा चीनी इत्यादि सामग्री भी प्रार्थी के द्वारा अन्य दुकान से मंगवाये जाते हैं। इसमें प्रार्थी का कोई दोष नहीं है फिर भी प्रार्थी अपनी गलती स्वीकार करता है। अतः प्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाया जावे। जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमानजी से अर्ज है कि प्रार्थी को भेजे गए नोटिस पर नरमी का रूख अपनाते हुए कार्यवाही की जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **कलाकन्द मिठाई(दूध, चीनी, टाट्री, बादाम की कतरन व इलाइची से निर्मित)** का सैम्पल **K-1869** जांच रिपोर्ट क्रमांक :–L.S./1030/Act/2023/1030 Dated 25-07-2023 द्वारा **Sub-standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी मै. सांगवाल स्वीट हाउस, बस स्टेण्ड के पास, सादुलशहर का प्रोपराईटर है। प्रार्थी की उक्त फर्म पर दौराने निरीक्षण अनियमितता पाई गई, दूध इत्यादि सामग्री में कमी पाई गई जबकि प्रार्थी के द्वारा दुध इत्यादि अन्य स्थान से मंगवाये जाते हैं तथा चीनी इत्यादि सामग्री भी प्रार्थी के द्वारा अन्य दुकान से मंगवाये जाते हैं। इसमें प्रार्थी का कोई दोष नहीं है फिर भी प्रार्थी अपनी गलती स्वीकार करता है। अतः प्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Kalakand(Made by Milk, Sugar, Almond pieces and Elaichi) " bearing Code No and Sr. No. K-1869, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-standard food as it does not conforms the standard of milk fat as prescribed in of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations,2001. The sample is also Food Containing extraneous matter under section 3.1.(i) of the Food safety & Standards Act 2006 due to presence of starch** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

2023/261

फलस्वरूप अभियक्त **प्रेम कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद** को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **प्रेम कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 20,000—00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)